न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद बइजलास

शत्रुध्न सिह गुर्जर आर.ए.एस

मिसल न0	दायरा तिथि	निर्णय दिनाक
24/23	09/06/2023	2/8/24

मनोज कुमार पुत्र गुलाबचन्द जाति मीणा निवासी डाहरा तह0 लाडपुरा,जिला कोटा।

— प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद,जिला कोटा।

2— प्रदीप कुमार पुत्र रमेशचन्द जाति मीणा निवासी डाहरा तह0लाडपुरा जिला कोटा

3— मोहनीबाई पत्नि स्व0 रमेशचन्द जाति मीणा निवासी डाहरा तह0लाडपुरा जिला कोटा

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 136 एलआर एक्ट प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वाके माल ग्राम चार पटवार हल्का पोलाईकलां तह0 दीगोद खाता सं0 62 ख.न. 288 रकबा 0.92 है0 ख.न. 289 रकबा 2.67 है0 ख.न. 290 रकबा 2.74 है0 ख.न. 291 रकबा 0.90 है0 कुल किता 4 रकबा 7.23 है0 प्रार्थी के खाते दर्ज है। ख.न. 288 रकबा 0.92 है0 भूमि में से प्रार्थी काश्त कर ख.न. 287 ख.न. 286 ख.न. 285 मे से 10 फुट चौडा रास्ता से होकर गुजरता है। उक्त आराजीयात् को इस प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

यह कि ख.न. 288 रकबा 0.92 है0 भूमि पर काश्त करते सेटलमेन्ट पूर्व ख.न. व रकबा नक्शा ट्रैस के अनुसार ही प्रार्थी काश्त करने जाता है सेटलमेन्ट पूर्व

साबिक ख.न. 217 रकबा 3 बीधा 17 बिस्वा भूमि रास्ता के रूप मे काम आती है लेकिन सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा सेटलमेन्ट करने से नये ख.न. कायम किये नये ख. न. मे पूर्व साबिक ख.न. 217 का रकबा कम कायम कर रास्ता के रूप में उपयोग आनी वाली भूमि को अप्रार्थीगण क. 3 के खाते मे रकबा बेसी कर दिया तथा रास्ता गायब कर नया नक्शा ट्रैस कायम किया जो कांकड पर है।

यह कि ख.न. 217 रकबा 3 बीधा 17 बिस्वा भूमि के नये ख.न. 327 रकबा 0. 39 है0 हे जो साबिक ख.न. 217 रकबा 3 बीधा 17 बिस्वा के मुकाबले रकबा 0.11 है0 कम दर्ज कर नया नक्शा ट्रैस में बदलाव कर दिया तथा अप्राथीगण कम 1 ता 3 के ख.न. 287 रकबा 0.73 है0 भूमि मे रकबा पेशी कर दिया जबकि साबिक ख.न. 215 का रकबा हाल ख.न. 281 में पूरा हो रहा है। ख.न. 287 साबिक ख.न. 215 व 217 से बना है इसलिए सेटलमेन्ट पूर्व नक्शा टैस की तरह रकबा ख.न. 287 से कम कर किया जाकर नया नक्शा ट्रैस कायम किया जावे। तथा नक्शा ट्रैस व इन्द्राज व दुरस्त किया जावे।

यह कि अप्राथीगण कम 1 ता 3 के द्वारा काश्त करने में उपयोग रास्ता पर आने जाने से मना करने व लडाई–झगडा करने पर आमादा हुए जिससे प्रार्थी को ख.न. 288 में काश्त नही करने जाने व भूमि को पडत रखने कि धमकी दी,अप्रार्थीगण कम 2 व 3 को कोई अधिकार प्राप्त नही है कि वह प्रार्थी को भूमि काश्त करने से वंचित करे और राजस्व रेकार्ड में रास्ता हेतु भूमि दर्ज कराने नही रोके इस कारण उपरोक्त परिस्थतियो में प्रार्थी के लिए माननीय न्यायालय में इन्द्राज व रकबा नक्शा ट्रैस दुरस्ती तथा स्थाई निषेघाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक् हो गया।

अतःप्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ता फैसला स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण अस्थाई निषेघाज्ञा पांबद फरमाया जावे कि ख.न. 285,ख.न. 286,ख.न. 287 में 10 फुट चौडा रास्ता पूरब से पश्चिमी दिशा में रकबा कम किया जाकर नक्शा ट्रैस कायम किया जावे व साबिक ख.न. 217 रकबा 3 बीधा 17 बिस्वा भूमि का नक्शा ट्रैस अनुसार वर्तमान ख.न. 285 ख.न. 286,287 मे रकबा कम किया जाकर नक्शा ट्रैस व नये ख.न. कायम किया जावे। साबिक नक्शा ट्रैस अनुसार सरकारी वादी के खेत हाल ख.न. 288 तक जाने के लिए सरकारी भूमि दर्ज कर नये नक्शे ट्रैस में साबिक ट्रैस अनुसार सरकारी भूमि व ख.न. कायम किये जावे। इन्द्राज दुरस्त किया जाकर वादी के सुखाधिकार में प्रयोग रास्ते के रूप में कायम किया जावे।

इस आशय कि अस्थाई निषेघाज्ञा प्रसारित की जावे कि प्रार्थी को ख.न. 288 में आने जाने वाले 50 वर्ष पुराने रास्ते में आने जाने अप्रार्थी कम 2 व 3 किसी प्रकार की उपयोग–उपभोग मदाखलत मजाहमत दखल अंदाजी नही करे नही भूमि को रहन बेचान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी कम 2 व 3 की ओर से वकील प्रमोद चोघरी द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रकरण वाद पत्र के रूप में प्रस्तुत किया है या प्रार्थना पत्र के रूप में स्पष्ट नही है। दोनो अधिनियमो के तहत प्रकरण नही चल सकता है। इस कारण प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद न. 2 भूमि स्थित होनाा स्वीकार है लेकिन ख.न. 287 व 286 की भूमि मे से 10 फीट रास्ता होकर गुजरना स्वीकार नही है।

प्रार्थना पत्र की मद न. 3 स्वीकार नही है। पुराने ख.217 का रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा था जो कभी भी रास्ते रू॰ में काम में नही आयी सेटलमेन्ट में कोई भूमि कम दर्ज नही की गई है।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में विशेष आपत्तियां करते हुए निवेदन किया के प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण को अनावश्यक् रूप से परेशान करने से पक्षकार बना कर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रतिपक्षी 2 व 3 के विरूद्व खारिज योग्य है।

यह कि खसरा नम्बर 287 व 286 में पूरब से पश्चिम की तरफ दक्षिण दिशा मे कोई रास्ता मौके पर मोजूद नही है ओर न कभी प्रार्थी ने तथाकथित रास्ते का उपयोग किया है ओर न ही रास्ता है। राजस्व रेकार्ड में भी कोई रास्ता दर्ज नही है प्रतिपक्षी की भूमि कोई भूमि प्रार्थी की नही मिलाई है।

यह कि प्रार्थी के खाते में वर्तमान में खसरा नम्बर 288,289,290,291 की कुल 4 किता 7.23 है0 जो मिलान क्षैत्रफल अनुसार पुराने ख.न. 214,216,261 की कुल 44 बीघा 2 बिस्वा से बने है जबकि उक्त रकबा अनुसार 7.05 है0 बनते है जबकि प्रार्थी के खाते में 7.23 है0 भूमि दर्ज की गई है जो 0.18 है0 भूमि अधिक दर्ज गयी है । जो कम होने योग्य है।

यह कि प्रार्थी ख.न. 285,286 व 287 की भूमि का रकबा 10 फुट चोडा पूरब से पश्चिम कम कराने व कम की गई भूमि का नये ख.न. कायम करवाने का अधिकारी नही है ओर न ही किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में सरकारी भूमि दर्ज कराने का अधिकारी है ओर न अस्थाई निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतःप्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज पेश किया। नकल जमाबंदी ग्राम चार खाता संख्या 43, नकल जमांबदी खाता सं. 62, नकल जमाबंदी ग्राम चार सम्वत 2035–2039, नक्शा ट्रैस सम्वत 2010, नकल जमाबंदी ग्राम चार सम्वत् 2043– 2062, नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2043–62, नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2038– 57,नकल नक्श ट्रैस नकल जमाबंदी ग्राम चार वर्ष 2006, नकल जमाबंदी ग्राम चार सम्वत 2058–2061,खाता सं. 47 नकल जमाबंदी संवत 2074–2077 ग्राम चार,खाता सं. 43,नकल जमाबंदी संवत 2074–2077 ग्राम चार खाता सं. 62,

वकील पक्षकारान् की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी । दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 का कथन किया एवं नक्शा सरहद मौजा डायरा दिखाते हुए उसमे अंकित ख.न. 217 दर्शाते हुए कथन किया कि उक्त स्थान रास्ते के रूप में पूर्व में मौजूद था,जिसे की अप्रार्थीगण कम 2 व 3 द्वारा तार फेसिंग कर अपने खेतो मे मिला लिया है जिसके कारण प्रार्थी को उसके खातेदारी खेतो में जाना बंद हो गया है एवं प्रार्थना अनुसार अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस कर कथन किया कि ख.न. 217 रास्ता न होकर बंजड–कांकड भूमि थी। अप्रार्थीगण 2 व 3 के खातेदारी भूमि ख.न. 285,286,287 है0 जिसका रकबा वही है जो पूर्व मे था। जबकि प्रार्थीगण के ख.न. 288,289 है0मिलान क्षैत्रफल के अनुसार इनका रकाब पूर्व रकबे से बढा दिया है। अतः उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात प्रार्थना पत्र को निर्णित करने हेतु न्यायालय को निम्न 3 बिन्दुओ पर विवेचन करना है।

1– प्रथमदृष्टया प्रकरण – प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि सेटलमेन्ट पूर्व साबिक ख.न. 217 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि रास्ता के रूप में आती है लेकिन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नए ख.न. कायम कर नये ख.न. में पूर्व साबिक ख.न. 217 का रकबा कम कर रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को अप्रार्थी कम 3 के खाते में रकबा बेसी कर दिया एवं रास्ता गायब कर नया नक्शा ट्रैस कायम कर दिया जो कांकड पर है। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी के खाते ख.न.288,289,290,291 की कुल भूमि 7.23 है जो मिलान क्षैत्रफल

अनुसार पुराने ख.न.214,216,261 की कुल 44 बीघा 2 बिस्वा से बने है जो कि 0.18 है0 अधिक दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात,मिलान क्षैत्रफल, आद्वि का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी संवत 2035–2039 मे ख.न. 217 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा बंजड के रूप में दर्शाया गया है जिसमे रास्ते का कोई उल्लेख नही है। मिलान क्षैत्रफल संवतृ 2043–2062 के अनुसार ख.न. 217 से नवीन ख.न .327 बने है,जिसका रकबा 0.39 है0 है जो गत रकबे से कम है इससे यह तथ्य पुष्ट है कि ख.न. 217 के नवीन ख.न. में रकबे की कमी हुई है। नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के हाल ख.न. 288,289,290 एवं 291 कुल रकबा 7.23 है0 जो कि गत ख.न. 216,214/2, 261/214, एवं 214/261 से बने है एवं गत से हाल मे प्रार्थीगण के रकबे मे लगभग 0.18 है बेसी दर्ज कर दिया है जबकि अप्रार्थीगण के हाल ख.न. 285,286,287 कुल रकबा 6.83 है जो कि पूर्व के ख.न. 214,215,214/1 से बने है जिससे पूर्व के रकबे से कम रकबा दर्ज हुआ है।

उक्त विवेचन से सपष्ट है कि पूर्व ख.न. 217 का रकबा कम हुआ है, परन्तु उक्त रकबा अप्रार्थीगण के रकबे मे बेसी दर्ज होना पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो से प्रमाणित होना साबित नही होता है। अतः प्रथमदृष्ट्या प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

2– अपूरणीय क्षति– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दस्तावेजो द्वारा प्रमाणित नही कर पाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

3– सुविधा संतुलन– चूकि प्रकरण प्रथम दृष्ट्या एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नही है। अतः सुविधा का संतुलनं भी प्रार्थी के पक्ष में नही होता है।

अतःउक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 2/8/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

दीगोद